

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुवस/10000
कार्यालय आदेश

दिनांक: 09/11/2023

उप वन संरक्षक, जयपुर के पत्रांक 10646 दिनांक 06.11.2023 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार 74 वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 कार्यक्रम के विज्ञापन के बिलों के भुगतान हेतु बजट मद 4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 800- अन्य व्यय, 01-फार्म वन विद्या, 63-वृक्षारोपण में हेतु वर्ष 2023-24 में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है।

मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	कुल आवंटन (रू.लाखों में)
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	उप वन संरक्षक, जयपुर	8.24
	योग:-	8.24

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये:-

बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(पी.के.उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुवस/10001-06

दिनांक: 09.11.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, जयपुर।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
राजस्थान, जयपुर